

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

विषय: साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण/ मौखिक परीक्षा/बुद्धि परीक्षण आदि के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के यात्रा व्यय के लिए आयोग के अंशदान के भुगतान के संबंध में टिप्पणी।

संघ लोक सेवा आयोग साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के यात्रा या अन्य खर्चों का भुगतान नहीं करता है। हालांकि, वे नीचे उल्लिखित सीमा तक उन खर्चों में योगदान करते हैं

(क) रेल द्वारा यात्रा के संबंध में उम्मीदवार के यात्रा व्यय के लिए आयोग के अंशदान का भुगतान उम्मीदवार के सामान्य के निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक सबसे छोटे मार्ग द्वारा एक द्वितीय श्रेणी (मेल) रेल किराए तक सीमित होगा। निवास स्थान या जहां से वह वास्तव में रेल यात्रा करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान के करीब है और उसी स्टेशन पर वापस आता है या वास्तव में खर्च की गई राशि या रेल किराया, जो भी कम हो। स्लीपर सुविधा का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को द्वितीय श्रेणी के रेलवे किराए के अलावा, स्लीपर शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। भारत में किसी भी स्थान से समुद्र द्वारा यात्रा के संबंध में, जो रेल से जुड़ा नहीं है और जहां यात्रा का तरीका स्टीमर द्वारा है, योगदान की दर आहार शुल्क को छोड़कर एकल द्वितीय श्रेणी स्टीमर किराया तक सीमित होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के मामले में, उनके स्टीमर शुल्क के लिए आयोग का योगदान केवल "बैंक क्लास" किराया तक ही सीमित होगा। ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो भारत के बाहर से आता है, टीए के लिए आयोग का योगदान भारतीय संघ की सीमाओं के भीतर की गई यात्राओं के लिए स्वीकार्य तक सीमित होगा।

(बी) एक उम्मीदवार जो एक ऐसे स्थान पर रहता है जहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, उसके द्वारा की गई सड़क यात्रा के हिस्से के लिए, समय-समय पर निर्धारित दरों पर या सड़क यात्रा के लिए भुगतान की गई वास्तविक राशि का भुगतान किया जाएगा।, जो भी कम हो। सड़क का माइलेज निकटतम रेलवे या स्टीमर स्टेशन या तहसील मुख्यालय के उप-मंडल से निकटतम रेलवे या स्टीमर स्टेशन तक और वापसी के लिए की गई सड़क यात्रा पर आधारित होगा, जो भी दूरी कम हो।

(सी) रेल सेवक को अन्य उम्मीदवारों के समान अंशदान का भुगतान उचित प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा कि उन्हें यात्रा कवर करने के लिए मुफ्त पास/पीटीओ प्रदान नहीं किए गए थे। यदि वे साक्षात्कार के लिए आने के लिए यात्रा के लिए प्रिविलेज पास का उपयोग करते हैं तो ऐसा कोई योगदान नहीं दिया जाएगा।

(डी) यदि रेल सेवक या अन्य केंद्र सरकार के कर्मचारी विशेषाधिकार टिकट आदेश का उपयोग करते हैं, तो उन्हें विशेषाधिकार टिकट आदेश पर खर्च की गई राशि का भुगतान किया जाएगा, जो कि सबसे छोटे मार्ग द्वारा द्वितीय श्रेणी के अधिकतम रेल किराए या वास्तव में रेल किराए की राशि के अधीन होगा। उम्मीदवार जो भी कम हो।

(इ) दिल्ली में साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आदि के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को समय-समय पर निर्धारित दरों पर विराम भत्ता निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रदान किया जाएगा:

(i) जहां एक उम्मीदवार को किसी विशेष तिथि पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उस तिथि पर साक्षात्कार नहीं होता है और उसके तुरंत बाद किसी अन्य तिथि पर साक्षात्कार होता है;

(ii) जहां आयोग द्वारा अलग-अलग पदों के लिए दो अलग-अलग तिथियों पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को बुलाया जाता है, इन तिथियों के बीच का अंतराल इतना कम होता है कि उम्मीदवार से वापस जाने और दोबारा आने की उम्मीद नहीं की जा सकती है; तथा

(iii) जहां उम्मीदवार को बाद की तारीख में लिखित/व्यावहारिक परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार देना होता है

नोट: इस खंड के तहत आयोग द्वारा किसी ऐसे उम्मीदवार को रुकने का भत्ता भी दिया जा सकता है जिसे आयोग के अलावा किसी अन्य संगठन द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और उसे अपने सामान्य निवास स्थान से दिल्ली/नई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता दिया जाता है। दिल्ली और वापस (लेकिन समान अवधि के लिए विराम भत्ता नहीं और जो आयोग के एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में रहना जारी रखता है, बशर्ते कि इस उप पैरा के तहत आयोग द्वारा इस तरह के विराम भत्ते का भुगतान किया गया होता, अगर पहले भी साक्षात्कार होता किसी अन्य संगठन के बजाय आयोग द्वारा व्यवस्थित किया गया है। जिस तारीख (तारीखों) पर साक्षात्कार या लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके लिए कोई विराम भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। विराम भत्ते का भुगतान इस शर्त के अधीन होगा कि आने-जाने की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता के साथ-साथ विराम भत्ता दो अलग-अलग यात्राओं के लिए टीए अंशदान के भुगतान की तुलना में अधिक किरायाती है।

(एफ) सभी मामलों में जहां रेल-सह-सड़क टिकट उपलब्ध हैं, उम्मीदवारों को अपनी यात्रा के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। ऐसे मामलों में आयोग का योगदान रेल-सह-सड़क टिकटों की लागत तक सीमित होगा, जहां भी ऐसे टिकट उपलब्ध हों।

(जी) ऐसे सभी मामलों में जहां रेलवे द्वारा यात्रा उस समय की जाती है जब रियायती रिटर्न टिकट उपलब्ध होते हैं, रेल द्वारा यात्रा के लिए कमीशन अंशदान ऐसे रिटर्न टिकटों की लागत तक सीमित होगा।

(एच) यदि किसी अन्य रियायत का उपयोग किया जाता है, तो उम्मीदवारों को रेल किराए पर खर्च की गई राशि का भुगतान किया जाएगा, जो सबसे छोटे मार्ग के लिए अधिकतम द्वितीय श्रेणी के रेल किराए या सबसे छोटे मार्ग के रेल किराए की राशि या रेलवे की राशि के अधीन होगा। उसके द्वारा वास्तव में वहन किया गया किराया, जो भी कम हो।

(आई) जहां उम्मीदवार सामान्य निवास स्थान के रूप में उल्लिखित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से साक्षात्कार के स्थान के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है और यह स्थान उसके सामान्य निवास स्थान की तुलना में साक्षात्कार के स्थान से अधिक दूर है, तो उसे अपने साथ लाना चाहिए उसे, यदि वह निजी रोजगार के मामले में अपने नियोक्ता से और सरकार के तहत रोजगार के मामले में कार्यालय प्रमुख से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है कि उसने वास्तव में साक्षात्कार के उद्देश्य से यात्रा की जगह से यात्रा की थी। यदि वह नियोजित नहीं है, तो उसके सामान्य निवास स्थान में किसी भी परिवर्तन को तभी मान्यता दी जाएगी जब उसने साक्षात्कार की तिथि से पहले अपने पते में परिवर्तन के बारे में आयोग को सूचित किया हो।

नोट 1: यात्रा व्यय के लिए आयोग के योगदान का भुगतान मौके पर ही नकद में किया जाएगा जब उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए आते हैं सिवाय जहां उम्मीदवारी अनंतिम है। इसलिए उम्मीदवारों को अपने साथ साक्षात्कार के लिए आने पर आगे और वापसी यात्रा के विवरण के साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म के दोनों तरफ मुद्रित टीए फॉर्म को डुप्लीकेट में संलग्न करना होगा।

नोट 2: आयोग उम्मीदवारों के रहने और खाने की व्यवस्था नहीं करता है।